विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्यालय), दिल्ली सरकार

विभाग का पता- पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

अतारांकित प्रश्न संख्या-110

दिनांक :- 18-12-2023

प्रश्नकर्ता का नाम- माननीय विधायक श्री महेन्द्र गोयल

क्या माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उतर
क) क्या यह सत्य है कि विधवा पेंशन के भुगतान को समय-समय पर रोक दिया जाता है;	"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना" में पर्याप्त बजट न होने के कारण कुल 36361 लाभार्थियों की पेंशन कुछ माह जारी नहीं की थी तथा विभाग ने वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर सभी लाभार्थियों की पेंशन जारी कर दी है तथा आगे भी हर माह जारी करता रहेगा।
ख) विभाग द्वारा विधवा महिलाओं को दी जाने वाली सभी योजनाओं की जानकारी दी जायें;	आर्थिक सहायता अनुभाग, महिला एवं बाल विकास द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जाती है :- 1. विधवा/निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना, (मासिक 2500/- रूपये की धनराशि) । 2. विधवा महिलाओं की पुत्री व अनाथ कन्या की शादी के लिए आर्थिक सहायता (30,000/- रूपये की धनराशि, केवल दो पुत्रियों तक)। 3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, (मासिक 2500/- रूपये की धनराशि) ।
ग) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक कुल कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी, नाम, टेलीफोन नं. पते सहित पूर्ण विवरण दिया जाये, और	रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से 21-11-2023 तक कुल 4542 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए गए है। विधवा/निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना के लाभार्थियों के नाम, पता एवं फोन न. को साझा करना एक अत्यंत संवेदनशील एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से नाजुक मामला है। अतः इस सूचना को गोपनीय तरीके से माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति एवं निर्देशानुसार ही साझा किया जाना चाहिए।

घ) क्या कोई महिला जो किसी अन्य राज्य से है और उसका विवाह दिल्ली के नागरिक से हो जाता है और दुर्भाग्यवश यह पांच वर्ष से पहले विधवा हो जाती है तो उसके दिल्ली में निवास का पांच वर्ष दिल्ली में रहने का प्रमाण के तौर पर क्या दस्तावेज लगाया जा सकता है, पूर्ण जानकारी दे?,	अधिसूचना F.41 (22)/DWS-WCD/FAS/Sch.Amend/09-10/19874-884 दिनांक 26.11.2010 के नियम 5(d) के अनुसार "निवास का प्रमाण, जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम पांच साल का निवास दर्शाता है। परिवार के किसी भी सदस्य के निम्नलिखित दस्तावेजों (अनुलग्नक-I में संलग्न हैं) में से कोई एक (नियम 3(c) परिभाषित हैं) केवल निवास प्रमाण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है"नियम 3(c) के अनुसार परिवार का अर्थ है बच्चे, अविवाहित, तलाकशुदा या अलग बेटियाँ/बहनें, माता-पिता जो केवल आवेदक पर निर्भर हैं।

KRISHAN KUMAR, IAS
Director (WCD)

कृष्ण कुमार, आई.ए.एस

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुलग्नक-I

निवास का प्रमाण :-

1. राशन कार्ड
2. मतदाता पहचानपत्र
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. जन्म प्रमाणपत्र, एम.सी.डी. व रजिस्ट्रार-जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी
6. मृत्यु प्रमाण पत्र, एम.सी.डी. व रजिस्ट्रार-जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी
7. बीमा पॉलिसी दस्तावेज़
8. परिवार के किसी भी सदस्य का टीकाकरण कार्ड
9. दिल्ली में इलाज का मेडिकल रिकॉर्ड
10. बिजली का बिल
11. पानी का बिल
12. टेलीफ़ोन बिल
13. गैस कनेक्शन रसीद
14. बैंक पासबुक
15. दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो
16. छात्र आईडी कार्ड
17. सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनी/स्थापित प्रतिष्ठान का सेवा पहचान पत्र
18. संपत्ति दस्तावेज़
19. कोई अन्य दस्तावेज़ जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष का निवास दर्शाता हो

(i) यदि आवेदक के पास निवास प्रमाण के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य होगा।

2. आवेदक निम्नलिखित सूची में से किसी भी दो गवाहों को डी.एस.डब्ल्यू.ओ./डी.डब्ल्यू.सी.डी.ओ. या उक्त उद्देश्य के लिए डी.एस.डब्ल्यू.ओ./डी.डब्ल्यू.सी.डी.ओ. द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी के सामने पेश कर सकता है।

   a) इलाके के आर.डब्ल्यू.ए. के अध्यक्ष या महासचिव
   b) पंजीकृत दुकानदार/पंजीकृत डॉक्टर (अपने पंजीकरण नंबर के साथ) जो इलाके में काम कर रहे हैं

DD (FAS)
Deptt. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi

c) आवेदक के दो पड़ोसी, उनके संपर्क विवरण के साथ

d) पंजीकृत महिला एस.एच.जी./महिला मंडल अध्यक्ष या महासचिव या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

e) उनके क्षेत्र के आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक/ आशा कार्यकर्ता

f) केन्द्रीय/दिल्ली सरकार के राजपत्रित अधिकारी

g) यदि आवेदक घर/दुकान आदि में कार्यरत हैं तो नियोक्ता का एक पत्र जिसमें बताया गया हो कि आवेदक कितने वर्षों से उनके साथ काम कर रहा है।

3. गवाह के बयान के साथ, उसकी फोटो पहचान, निवास और रहने की अवधि के प्रमाण के लिए प्रासंगिक दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गवाह स्वयं उतने वर्षों से उसी क्षेत्र में रह रहे हैं, जितने वर्षों से वे आवेदक को जानने का दावा करते हैं।

DD (FAS)
Deptt. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi